कार्यालय कलेक्टर एंव भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

मुरैना दिनांक 19/4/18

क्रमांक / भू–अर्जन / रेलवे परियोजना / 2018

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग–मुरैना।

विषयः– अवार्ड पारित प्रकरण ग्राम– जैतपुर नूराबाद तहसील मुरैना मे रेलवे परियोजना (अमान परिवर्तन)हेतु अर्जित भूमि के संबंध मे प्रभावित व्यक्तियों के बैकखाते, आई.एफ.सी. कोड न0, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आदि की जानकारी भेजने वावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी ओर से उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल ग्वालियर के प्रस्ताव अनुसार ग्राम– जैतपुर नूराबाद तहसील मुरैना मे रेलवे परियोजना (अमान परिवर्तन) निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध मे अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ। जिसमे आपके प्रस्ताव अनुसार दिनांक 17.04.2018 को अधिनिर्णय पारित किया जा चुका है।

1– उपरोक्त ग्राम के आपकी ओर से प्राप्त मूल प्रकरण एंव उक्त प्रकरणों मे पारित अधिनिर्णय, गणना पत्रक पार्ट ए ओर बी की प्रति आपकी ओर भेजकर लेख हे कि गणना पत्रक अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खातों, आई.एफ.सी. कोड न0, बेंक पासबुक की छायाप्रति, आधारकार्ड आदि की जानकारी शीघ्र अनुविभागीय अधिकारी मुरैना को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि मुआवजा राशि वितरण की कार्यवाही की जा सकें। भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत आवार्ड दिनांक से 03 मांह तक मुआवजा वितरण किया जाना आवश्यक हें। नियत अवधि का विशेष घ्यान रखा जावे।

2– उपरोक्त ग्राम मे पारित अधिनिर्णय तथा गणना पत्रक अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को हितग्राहीवार व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर संबंधित को तामील उपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

3– उपरोक्त ग्रामों मे रेलवे परियोजना (अमान परिवर्तन) निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को दिलाये जाने की कार्यवाही की जावें। कब्जा प्राप्ति रसीद की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

संलग्न– ग्राम– जैतपुर नूराबाद तहसील मुरैना,का मूल प्रकरण एंव पारित अधिनिर्णय तथा गणना पत्रक पार्ट ए एंव बी

प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन
जिला मुरैना म0प्र0

प्रतिलिपि—

1—अनुविभागीय अधिकारी मुरैना की ओर ग्राम— जैतपुर नूराबाद तहसील मुरैना उपमुख्य अभियंता निर्माण उत्तर मध्य रेल ग्वालियर के प्रस्ताव अनुसार अनुविभागीय अधिकारी मुरैना की ओर प्राप्त प्रकरण मे दिनांक 17.04.2018 को अधिनिर्णय पारित किया जा चुका है। उपरोक्त ग्राम मे रेल परियोजना अमान परिवर्तन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रकरणों मे पारित अधिनिर्णय एंव गणना पत्रक पार्ट ए ओर बी की प्रति भेजकर कर लेख है कि गणना पत्रक अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के बैकखाते, आई.एफ.सी.कोड न0, बेंक पासबुक की छायाप्रति, आईडेन्टीफिकेशन हेतु आधार कार्ड आदि की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना एंव तहसीलदार मुरैना से प्राप्त कर मुआवजा वितरण की कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।

2— उपमुख्य अभियंता निर्माण उत्तर मध्य रेल ग्वालियर की ओर पारित अवार्ड की प्रति भेजकर लेख है कि प्रभावित व्यक्तियो के बेंक खाते, आई.एफ.सी. कोड न0, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधारकार्ड आदि की जानकारी उपलब्ध कराने मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना एंव तहसीलदार मुरैना को सहयोग प्रदान करे। तथा अधिग्रहित भूमि पर कब्जा प्राप्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना एंव तहसीलदार मुरैना से सम्पर्क कर मौके पर भूमि कब्जा प्राप्त करे।

3— जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी मुरैना की ओर ग्राम जैतपुर नूराबाद तहसील मुरैना, पारित अधिनिर्णय दिनांक 17.04.2018 की प्रति भेजकर लेख है कि उक्त ग्राम के अधिनिर्णय कलेक्टर मुरैना की वेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

4— तहसीलदार परगना मुरैना की ओर उपरोक्त ग्राम मे पारित अधिनिर्णय एंव गणना पत्रक की छायाप्रति भेजकर लेख हे कि प्रभावित व्यक्तियो के बैंक खातों, आई.एफ. सी. कोड न0, बेंक पासबुक की छायाप्रति, आधारकार्ड आदि की जानकारी व्यक्तिवार तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना को भिजवाना सुनिश्चित करें, एंव अर्जित भूमि का संबधित विभाग को कब्जा सुपुर्द करे, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे।

प्रभारी अधिकारी भू—अर्जन
जिला मुरैना म0प्र0

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एंव भू अर्जन अधिकारी मुरैना जिला मुरैना

प्र0क0 03 / 16–17 / अ 82

उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर .आवेदक

बनाम

सुभाष चन्द गोयल पुत्र पुरनचन्द्र
आदि निवासी पहाडी ....अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक 17.04.2018)

आवेदक उपमुख्य इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर द्वारा ग्वालियर श्योपुरकलॉ छोटी लाइन से बडी लाइन मे अमान परिवर्तन के अंतर्गत ग्राम जैतपुर नूराबाद की अशासकीय भूमि के आपातिक स्थाई अर्जन वावत् प्रस्ताव पत्र दिनांक 16.01.17 से प्रस्तुत कर ग्राम की अधोलिखित भूमि अर्जित किये जाने का अनुरोध किया गया है :–

क्र	सर्वे न.	रकवा
1	258	0.162
2	277	0.278
3	275 मिन 3	0.100
4	279	0.066
5	280	0.034
6	281	0.236
7	282	0.056
8	285	0.199
9	292	0.001
10	293	0.107
11	295	0.335
	कुल किता 11	**1.574**

निरंतर

उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे भू अर्जन अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 40 के तहत अत्यावश्यकता की दशा को उद्‌घोषित करते हुए धारा 11 के तहत प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक 07.07.2017 को जारी किया गया जो म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 28.07.17 के पृष्ठ कमांक 4580' से 4582 मे प्रकाशित हुआ दैनिक श्योपुर एक्सप्रेस एंव पीपुल्स समाचार में दिनांक 14.07.17 को प्रकाशित किया गया कार्यालय उप तहसील बामौर मे दिनांक 08.07.17 नगर परिषद बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 08.07.17 भू अर्जन अधिकारी मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 09.07.17 उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 10.07.17 को चस्पा की गई नियत अवधि मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई।

3. भू अर्जन अधिनियम की धारा 40 के तहत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा होने से अध्याय 2 से अध्याय 6 के उपवन्ध लागू नही होते है। अतः धारा 19 की तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एंव भू अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र दिनांक 07.10.17 से जारी हुयी जो म.प्र. राजपत्र माना मे दिनांक 27.10.17 को राजपत्र के प्रष्ठ कमांक 5552 से 5553 पर प्रकाशित हुआ श्योपुर एक्सप्रेस समाचार पत्र एंव स्वदेश समाचार पत्र मे दिनांक 14.10.17 को प्रकाशित किया गया नगर परिषद बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 08.10.17 को उप तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 08.10.17 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 09.10.17 कलेक्टर मुरैना 09.10.17 उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 10.07.17 चस्पा कर प्रकाशित की गई।

5. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 8.12.17 को जारी किया गया कलेक्टर मुरैना के पोर्टल पर दिनांक 08.12.17 को अपलोड किया गया जिसमे दिनांक 07.01.2018 तक हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां प्रस्तुत करने को समय दिया गया । नगर परिषद बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 11.12.17 को उप तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 11.12.17 को कार्यालय

निरंतर